

बजिली के अवैध उपयोग की सूचना देने पर मलिगा पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

6 जनवरी, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली चोरी की रोकथाम के लिये इनाम योजना घोषति की है।

प्रमुख बदु

- अवैध उपयोग की सूचना देने पर निर्धारित शर्तों के अधीन पारितोषिक देने का प्रावधान है। सूचना के आधार पर राशि वसूली होने पर सफल सूचनाकर्त्ता को 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा। इस राशि की अधिकतम सीमा नहीं है।
- बंजिली के अवैध उपयोग/चोरी के संबंध में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी मुख्यालय एवं क्षेत्रीय मुख्यालयों के अलावा क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को भी लिखिति अथवा दूरभाष पर सूचना दी जा सकती है। सूचनाकर्त्ता की जानकारी गोपनीय रखने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की रहेगी।
- कंपनी के अधिकारी-कर्मचारी को सूचनाकर्त्ता नहीं माना जाएगा। सूचनाकर्त्ता को प्रोत्साहन राशिका भुगतान कंपनी मुख्यालय से किया जाएगा।
 प्रोत्साहन राशि सिधे सूचनाकर्त्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- प्रकरण बनाने एवं राश विसूली करने वाले विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारि<mark>यों को भी ढाई प्रतशित राश</mark> प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी।
- कंपनी मुख्यालय में इस योजना के क्रयान्वयन के लिये विज़िलेंस सेल गठित किया गया है। <mark>इस वि</mark>ज़िलेंस सेल को भी सूचना भेजी जा सकती है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/reward-will-be-given-for-reporting-illegal-use-of-electricity